Baroda

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

:: केंटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन न्यायालय भवन गंजबासौदा में **केंटीन** के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

केंटीन संचालन निविदा जिला न्यायालय विदिशा के कार्यालय में अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क/टेंडर फीस निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	15-12-2025, AT 05:00 PM
निविदा खोले जाने की दिनांक	17-12-2025
निविदा प्रस्तुत करने की फीस	200/-
निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बयाना राशि	50,000/-

निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता अपने प्रतिनिधि या स्वयं निविदा खोले जाने वाली दिनांक को उपस्थित हो सकते है।

निविदा की शर्ते एवं सम्पूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की बेवसाईड www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय विदिशा की बेवसाईड www.vidisha.dcourt.gov.in पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

04-11-25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म.प्र.

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

केंटीन संचालन का स्थान :– **नवीन न्यायालय परिसर गंजबासौदा**

निविदा फॉर्म

प्रथम पक्षः– :– निविदाकर्ता का नाम ....

पता– ....
....
....

मोबाईल नं.– ....

आधार कार्ड नं.– ....

पेन कार्ड नं.– ....

उक्त कार्य का अनुभव ....

संस्था का शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र....................

जीएसटी प्रमाण पत्र..

एफ.ए.एस.एस.आई से फूड लायसेंस...

पी.एफ एवं ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन...

प्रस्तावित अनुबंध राशि (शब्दों एवं अंको में)............................

द्वितीय पक्ष :– जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा

निविदा शर्तें

न्यायालय गंजबासौदा परिसर में अस्थायी केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है, जो निम्नानुसार हैः–

01– निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक **15.12.2025** तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

02– उक्त केंटीन 01 वर्ष के लिये लीज पर दी जायेगी, जिसका न्यूनतम मासिक किराया राशि रूपये **24500/– प्रतिमाह** 10 तारीख तक ऑनलाइन चालान के माध्यम से नजारत अनुभाग में जमा करना होगा। उसके पश्चात 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जाकर पुनः संचालन अवधि को कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बढाया जावेगा।

03– निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ रूपये 50,000/– की अमानत, राशि प्रधान जिला न्यायाधीश, विदिशा को ऑनलाईन के माध्यम से देय होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि ऑनलाईन ही वापिस की जावेगी।

04– केंटीन में शुद्ध गुणवत्ता की सामग्री का वितरण किया जावेगा।

05– माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा ''स्वच्छ न्यायालय मिशन'' के अंतर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।

06– केंटीन में मादक पदार्थ, तम्बाकू, गुटका का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

07– निविदाकर्ता के पास शॉप एक्ट के अंतर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

08– निविदाकर्ता के पास फर्म की जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

09– निविदाकर्ता के पास फर्म का एफ.ए.एस.एस.आई से फूड लायसेंस होना अनिवार्य है।

10– निविदाकर्ता फर्म के पास केटरिंग क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

11– निविदाकर्ता फर्म के पास पी.एफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

12– निविदाकर्ता फर्म के पास पी.एफ.एफ.ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

13– कैंटीन ठेकेदार द्वारा कोरोना गाइड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

14– ठेके का उप ठेका नहीं दिया जा सकेगा।

15– कैंटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक अथवा सिविल मामला लम्बित नहीं होना चाहिए।

16– यदि ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह का मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

17– केंटीन संचालन के कारण आवागमन बाधित नही होना चाहिए।

18– न्यायालय परिसर में सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा तथा कैंटीन का संचालन सांय 6:00 बजे के बाद बंद करना होगा।

19– केंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत व्यय का भुगतान करना होगा।

20– केंटीन का अवधि एक वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिए होगी।

21– ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति जिला नाजिर विदिशा पास ऑनलाईन चालानजमा करनी होगी।

22– केंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक तथा मिलावटी नहीं होगी, जांच में यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है, तो केंटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

23– खाद्य सामग्री की दरों की सूची निविदा के साथ संलग्न की जायेगी।

24— निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु खाद्य सामग्री की किफायती दरों में रियायत करते हुये सूची पृथक से अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ विदिशा की ओर कर्मचारीगण को प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित की जायेगी।

25— निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं करेगा। केंटीन संचालक द्वारा संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय संचालन हेतु आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए, अनुमोदित करवाने के बाद ही कर सकेगें, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्हीं कारणवश यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय पर हटाना होगा।

26— विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें केंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

27— केंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नही रहेगा।

28— अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक 02 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

29— सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर, निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

30— केंटीन का ठेका आवंटन/निरस्त के संबंध में एक मात्र विवेकाधीकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होगा।

31— केंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

32— केंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान— पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

33— केंटीन संचालनकर्ता एवं उनके कर्मचारी निर्धारित गणवेश धारण करेंगे।

34— निविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल के अवलोकन के संबंध में दिनांक 13.12.2025 को जिला नाजिर, विदिशा से संपर्क कर सकते है।

35— निविदा फॉर्म पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक **15.12.2025** तक जिला न्यायालय विदिशा के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते है। निविदायें ऑनलाईन व भौतिक रूप से आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावे। निविदा दिनांक **17.12.2025 समय सांय 05:00 बजे** तक खोली जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सम्पूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय विदिशा की बेवसाईड www.vidisha.dcourt.gov.in पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

36— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जूनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय विदिशा से संपर्क किया जा सकता है।

37— तहसील न्यायालय गंजबासौदा में स्थित केन्टीन हेतु निर्धारित स्थान का अवलोकन नायब नाजिर गंजबासौदा के माध्यम से किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म.प्र.